राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाहर सिंह बनाम राजेन्द्र

तारीख हुक्म	613/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/2026	प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब किये जाने पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 87/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09/03/2026 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09/03/2026 को अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 09/03/2026 का अवलोकन किया गया। जिससे अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	